

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1455/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता-चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राजस्थान ट्रांसफार्मर्स एण्ड स्वीचगियर्स
जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 12.08.2016

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा 77/81/आरएसटी/अपील्स-चतुर्थ/1999-2000/जेपीई में पारित आदेश 28.04.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,55,821/- आरोपित की गई है, को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.1999 को वाहन संख्या जी.जे.-6/वाई-5583 को अजमेर रोड पर चैक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में कॉपर रोड लदा हुआ था, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी ने इनवाईस संख्या 2000555 व मैसर्स फ्रन्टलाईन ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड की जी आर नम्बर 23754 प्रस्तुत की। माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एस टी-18ए होना आवश्यक है, जो साथ नहीं था। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(2)(ए) व 81(1) व नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,55,821/- आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.04.1999 से असन्तुष्ट होकर उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश विरोध करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल अधिसूचित माल था, जिसके साथ घोषणा पत्र एस टी 18-ए होना आज्ञापक था, जो साथ में नहीं था, इसलिए उनका आदेश अविधिक है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र 18ए नहीं होने कारण कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में घोषणा पत्र 18ए प्रस्तुत करना बाद की सोच (after thought) है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत माल की कीमत का 30 प्रतिशत शास्ति रु. 1,55,821/- आरोपित की गई है, जो उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अनुचित एवं अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है, क्योंकि परिवहनित माल के सम्बन्ध में माल प्रभारी ने इनवाईस संख्या 2000555 व मैसर्स फ्रन्टलाईन ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड की जी आर नम्बर 23754 प्रस्तुत की है। उनका कथन है कि वक्त जांच माल प्रभारी के पास घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं था, जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 1517 प्रस्तुत किया गया था (जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 पर उपलब्ध है), जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स (2001) 124 एस टी सी 611 के परिप्रेक्ष्य में नियमों की पालना मानी गयी है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसको बाद की सोची हुई युक्ति मानकर अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 29/2004 मैसर्स बालाजी एण्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, सी.टी.डी गंगापुरसिटी में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2007 को उद्धृत करते हुए बताया कि उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से पूरी तरह मेल खाते हैं। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की है, जो पूर्णतः विधिक है।

उन्होंने अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए यह भी कथन किया कि प्रकरण दिनांक 22.03.2002 से पूर्व का है अतः विधिक प्रावधानानुसार



शास्ति आरोपण की कार्यवाही वाहन चालक/माल प्रभारी पर ही की जा सकती थी जबकि हस्तगत प्रकरण में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रत्यर्थी व्यवहारी पर की गई, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र 18ए नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,55,821 /—आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2007 को पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 1517 प्रस्तुत किया गया है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 05 पर उपलब्ध है, जो चेकिंग दिनांक 26.04.1999 को ही विभाग द्वारा जारी करवाकर जवाब के साथ दिनांक 30.04.1999 को प्रस्तुत किया गया है, जो बाद की सोच स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है क्योंकि यदि नोटिस जारी नहीं किया जाता तो प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र एस टी 18ए विभाग द्वारा जारी नहीं करवाया जाता है जबकि अधिनियम की धारा व नियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में प्रवेश के समय एवं निरीक्षण के दौरान अधिसूचित माल की घोषणा एस टी 18ए का होना आज्ञापक है। वक्त चेकिंग अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण किया जाना उचित है। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स (2001) 124 एस टी सी 611 का न्यायिक दृष्टान्त बहस के दौरान उद्धृत किया गया है, जिसमें मत प्रतिपादित किया गया है कि माल रवाना करते समय किसी त्रुटिवश माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संलग्न करने से रह गया है और वह जवाब के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो शास्ति आरोपण नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण माल चेकिंग तक घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रत्यर्थी व्यवहारी के पास नहीं था जैसे ही उसका माल चेक किया गया और उसे ज्ञात हुआ कि परिवहनित माल अधिसूचित माल




है तो उसके द्वारा चेकिंग दिनांक 26.04.1999 को विभाग से जारी करवाकर जवाब के साथ प्रस्तुत किया है, जो बाद की सोच को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 29/2004 मैसर्स बालाजी एण्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, सी.टी.डी गंगापुरसिटी में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2007 को उद्धृत किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2)की सेल का बिन्दु विवादित किया था जबकि हस्तगत प्रकरण में अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए का नहीं होने का बिन्दु विवादित है इसलिए उद्धृत निर्णय के प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2007 को अपास्त करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य